गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नए आपराधिक कानून, 2023

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

New Criminal Laws, 2023

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना	05
भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय प्रणाली	07
नागरिक केन्द्रित कानून	09
नए आपराधिक कानून पर एक नजर	13–17
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)	
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)	
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)	
महिलाएं और बच्चे	19
न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश	21
पीड़ित–केन्द्रित दृष्टिकोण	23
अपराध एवं दंड को पुनर्परिभाषित किया गया	25
समय पर और शीघ्र न्याय	27
आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन	29
पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता	31
पहले और अब	33
NCRB मोबाइल ऐप 'NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन'	35

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Contents

Preface	06
Justice System Based on Indian Thinking	08
Citizen Centric Laws	10
New Criminal Laws at a Glance	14-18
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)	
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)	
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA)	
Women and Children	20
Infusion of Technology in the Delivery of Justice	22
Victim-Centric Approach	24
Redefined Offences & Punishments	26
Timely and Speedy Justice	28
Transforming Criminal Justice System	30
Greater Accountability and Transparency of Police	32
Then and Now	34
NCRB Sankalan of New Criminal Laws	36

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

प्रस्तावना

भारतीय संसद ने तीन ऐतिहासिक कानूनों–भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया है। भारतीय मूल्यों पर आधारित ये नए कानून दंडात्मक से न्याय–उन्मुख दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देते हैं, जो 'भारतीय न्याय व्यवस्था' को प्रतिबिंबित करता है।

औपनिवेशिक युग के कानून ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए बनाये गये थे। इनमें भारतीयों से परामर्श नहीं किया गया था तथा इनमें ब्रिटिश केंद्रित शब्दावली और रूपरेखाएं अंतर्निहित थीं।

ये विधायी परिवर्तन 'आजादी का अमृत महोत्सव'की परिणति को चिह्नित करते हैं और 'अमृत काल' की शुरूआत करते हैं जो वास्तव में स्वतंत्र भारत के निर्माण का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशा–निर्देश में संशोधन प्रक्रिया वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल था और न्यायपालिका के सदस्य, कानून विश्वविद्यालय, राज्य के अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे। यह सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है कि नए कानून ऐसी न्याय प्रणाली हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी होगी, यह भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी।

इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि कानूनी व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाती है जिससे सभी के लिए सुलभ एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित हो। यह सुधार भारत में एक निष्पक्ष, आधुनिक और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जय हिंद

Preface

The Indian Parliament has initiated a transformative step in the criminal justice system by replacing three historical laws: the Indian Penal Code, 1860, the Code of Criminal Procedure, 1973, and the Indian Evidence Act, 1872, with the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, respectively. These new laws, grounded in Indian values of justice (nyaya), signify a shift from a punitive to a justice-oriented approach, reflecting ''*Bhartiya Nyaya Vyavastha*''.

The colonial-era laws were designed to safeguard British interests, devoid of consultation with Indians and embedded with British centric terminologies and frameworks.

These legislative changes mark the culmination of the 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' and herald the dawn of 'Amrit Kaal,' symbolizing the forging of a truly independent India. The revision process, under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and spearheaded by Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah, involved extensive consultations with diverse stakeholders going on from year 2019, including judiciary members, law universities, state officials and the public. This collaborative effort ensures the laws are "justice system which will be entirely be indigenous, it will operate according to laws made by India, for India and by the Indian parliament".

The overarching goal is to create a criminal justice system that not only protects citizens' rights but also upholds the Rule of Law, ensuring accessible and speedy justice for all. This reform represents a significant stride towards an equitable, modern and just legal framework in India.

Jai Hind

भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय प्रणाली

इन कानूनों का उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है।

- नए आपराधिक कानून 'लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे' और हमारे मन को भी उपनिवेशवाद से मुक्त करेंगे।
- यह 'दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केन्द्रित' है।
- 'सबके साथ समान व्यवहार' मुख्य विषय है।
- यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करते हैं।
- इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है।
- यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
- यह मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरुप है।
- यह पीड़ित-केन्द्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे।
- इन कानूनों की आत्मा न्याय, समानता और निष्पक्षता है।

Justice system based on Indian thinking

These Acts are intended to overhaul the Indian legal system and establish a "justice system based on Indian thinking".

- The new criminal laws will free people from ''colonial mindset'' and its symbol and decolonize our minds.
- These Laws Focus on Justice rather than Punishment.
- "Sab Ke Saath Samaan Vyavhar" is the key theme.
- They reveal the real spirit of original Indian Code of Justice.
- They are made with spirit of Indian Constitution.
- The laws guarantee personal freedom of expression.
- The value of human rights are at its core.
- They will ensure Victim Centric Justice.
- The soul of new laws is *Nyaya, Samaanta aur Nishpakshata*.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नागरिक केन्द्रित कानून

भारतीय लोकाचार को अपने मूल में रखने वाले नए आपराधिक कानून अधिक नागरिक केन्द्रित बनने की दिशा में बदलाव के प्रतीक हैं।

- बीएनएसएस की धारा 173 (1) में नागरिकों को मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार (ई–एफआईआर), बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है, एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।
- बीएनएसएस की धारा 173 (2)(1) के तहत नागरिक बिना किसी देरी के पुलिस द्वारा अपनी एफआईआर की एक नि:शुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं।
- बीएनएसएस की धारा 193 (3)(ii) के तहत पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य है।
- बीएनएसएस की धारा 184 (1) के अनुसार पीड़िता की मेडिकल जांच उसकी सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 184 (6) के तहत मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा 7 दिनों के भीतर भेजी जाएगी।

Citizen Centric Laws

The new criminal laws with spirit of Indian ethos makes paradigm shift towards more citizen centric approach.

- In Section 173(1) BNSS gives citizen right to file an FIR through oral or by electronic communication (e-FIR) also, irrespective of area where the offence is committed citizen can file FIR.
- Citizen are entitled to get a free copy of their FIR by the police without any delay under Section 173(2)(1) BNSS.
- The police are mandated to inform the victim on the progress of the investigation within 90 days under Section 193(3)(ii) BNSS.
- Section 184(1) BNSS the medical examination of a victim shall be conducted with her consent, within 24 hrs of receiving information about the commission of the offence. Medical report shall be forwarded within 7 days under Section 184(6) BNSS.

- बीएनएसएस धारा 18 (8) के तहत नागरिकों को अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाया गया है। धारा 230 बीएनएसएस में नागरिकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- बीएनएसएस की धारा 396, इसमें पीड़ित नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और मुआवजे का अधिकार है।
- बीएनएसएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान किया गया है।
- धारा 360 बीएनएसएस में अभियोजन से हटने के लिए सहमति देने से पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। यह आपराधिक न्याय के लिए 'न्याय केन्द्रित दृष्टिकोण' का सबसे अच्छा उदाहरण है।
- बीएनएसएस की धारा 404 के तहत पीड़ितों को न्यायालय में आवेदन करने पर निर्णय की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार मिला है।
- धारा 530 बीएनएसएस कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है।

- Citizens are empowered to engage their own legal representation to assist the prosecution under Section 18 (8) BNSS.
- The criminal justice system made more transparent, accountable and accessible. In Section 230 BNSS, the supply of documentation to the citizen has been introduced.
- The victim have a right to free medical treatment and victim compensation under Section 396 BNSS.
- Provision for witness protection scheme has been provided under Section 398 BNSS.
- The Courts are mandated to hear the victim before giving consent for withdrawal from prosecution in Section 360 BNSS. This is best example of a 'Nyaya Centric Approach' to criminal justice.
- Section 404 BNSS victims are entitled to get a free copy of the judgment on an application to the Court.
- In Section 530 BNSS the law allows for investigation, inquiry and trial proceedings also be held electronically.

नए आपराधिक कानून पर एक नजर

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)

मुख्य परिवर्तन

- आईपीसी में धाराओं की संख्या 511 से घटाकर बीएनएस में 358 कर दी गई
- 20 नये अपराध जोड़े गए
- कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है
- 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है
- कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है
- कई अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है

कुछ विशेषताएं

- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अध्याय में समेकित किया गया है
- धारा 69 : झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है
- धारा 70(2) : सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है

*अधिक जानकारी के लिए देखिए एनसीआरबी संकलन ऐप/वेबसाइट
https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

New Criminal Laws at a Glance

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)

Key Changes

- Reduced sections from 511 in IPC to 358 in BNS
- Added 20 new offences
- Compulsory minimum punishment prescribed for certain offences
- Community service for 6 petty offences
- In certain offences fine has been increased
- In certain offences quantum of punishment enhanced

Some Key Features

- Consolidates offences against women and children in a single chapter
- Section 69: Strict punishment for sexual intercourse on false promise
- Section 70(2): Death penalty as punishment for gang rape

For more information refer NCRB Sankalan app/website link
https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)

मुख्य परिवर्तन

- सीआरपीसी में धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर बीएनएसएस में 531 की गई
- 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया
- 9 नई धाराएं जोड़ी गई
- 14 धाराएं निरस्त की गईं

कुछ विशेषताएं

- जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा
- मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्मानों में वृद्धि की गई है
- FIR प्रक्रियाओं और पीड़ितों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित करना
- धारा 173 : जीरो FIR और e-FIR का प्रावधान किया गया है
- धारा 176 (1)(ख) : यह कानून ऑडियो-वीडियो के माध्यम से पीड़ित को बयान रिकॉर्डिंग का अधिकार देता है

***अधिक जानकारी के लिए देखिए एनसीआरबी संकलन ऐप/वेबसाइट**

https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)

Key Changes

- Increased sections from 484 in CrPC to 531 in BNSS
- Replaced 177 sections
- Added 9 new sections
- Repealed 14 sections

Some Key Features

- Enhances use of technology in investigation
- Increase fines by Magistrate
- Streamlines FIR processes and victim protection
- Section 173: Zero FIR and e-FIR provision introduced
- Section 176(1): Law permits Audio-Video recording of victim statement

For more information refer NCRB Sankalan app/website link
https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)

मुख्य परिवर्तन

- आईईए में धाराओं की संख्या 167 से बढ़ाकर बीएसए 170 की गई
- 24 धाराएं बदली गई
- 2 नई धाराएं जोड़ी गई
- 6 धाराएं निरस्त की गईं

कुछ विशेषताएं

- इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है
- डिजिटल साक्ष्य प्रामाणिकता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है
- धारा 2 (1)(घ) : दस्तावेजों की विस्तारित परिभाषा
- धारा 61 : डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता में समानता दी गई है
- धारा 62 और 63 : इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता दी गई है

*अधिक जानकारी के लिए देखिए एनसीआरबी संकलन ऐप/वेबसाइट
https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA)

Key Changes

- Increased sections from IEA 167 to 170 in BSA
- Changed 24 sections
- Added 2 new sections
- Repealed 6 sections

Some Key Features

- Recognizes electronic/digital records as primary evidence
- Provides framework for digital evidence authenticity
- Section 2(1)(d): Expanded definition of documents
- Section 61: Parity in admissibility of digital records as other documents
- Section 62 & 63: Admissibility of electronic records acceptable in court

For more information refer NCRB Sankalan app/website link

https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

महिलाएं और बच्चे

- नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धाराएं शामिल हैं।

- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग तटस्थ बनाया गया है। (धारा 2 बीएनएसएस)

- 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। (धारा 70 बीएनएस)

- झूठे वादे या छद्म पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। (धारा 69 बीएनएस)

- चिकित्सकों को बलात्कार से पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजने का आदेश दिया गया है। (धारा 51 (3) बीएनएसएस)

Women and Children

- New Criminal Laws includes 37 sections addressing crime against women and children.

- Offences against woman and child have been made gender neutral in terms of both the victim and the perpetrator.(Section 2 BNSS)

- Gang rape with girl under 18 years of age is made punishable with life imprisonment or death. (Section 70 BNS)

- Engaging in sexual activity under false promise or disguised identity is now considered a criminal act.(Section 69 BNS)

- Medical practitioners are mandated to send the medical report of a victim of rape to the investigating officer within seven days.(Section 51 (3) BNSS)

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश

- आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया। इसमें ई-रिकॉर्ड, जीरो-FIR, e-FIR, समन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल शामिल हैं। (धारा 173 बीएनएसएस)

- पीड़ितों के इलेक्ट्रॉनिक बयान के लिए ई-बयान तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए e-Appearance की शुरूआत की गई। (धारा 530 बीएनएसएस)

- 'दस्तावेजों' की परिभाषा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉयस संदेश शामिल होंगे। साक्ष्य का कानून अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालतों में भौतिक साक्ष्य के बराबर मानता है। (धारा 2 (1)(d) बीएसए)

- कानून के तहत द्वितीयक साक्ष्य का दायरा व्यापक हो गया है जिसमें मौखिक स्वीकारोक्ति, लिखित स्वीकारोक्ति और दस्तावेज की जांच करने वाले कुशल व्यक्ति का साक्ष्य शामिल है। (धारा 58 बीएसए)

- तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी के लिए प्रक्रियाएं शुरू की गईं, जिसमें जब्त वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर तैयार करना शामिल है। (धारा 105 बीएनएसएस)

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Infusion of Technology in the Delivery of Justice

- Comprehensive digitalisation of all stages of criminal justice system. It include e-records, zero- FIR, e-FIR, summons, notices and submission of documents and trials.(Section 173 BNSS)

- e-Bayan introduced for the electronic statement of victims and e-Appearance for the presence of witnesses, accused, experts and victims through electronic means.(Section 530 BNSS)

- Definition of ‘documents’ to include server logs, locational evidence and digital voice messages. The law of evidence now treats electronic evidence as equivalent to physical evidence in courts.(Section 2(1)(d) BSA)

- The scope of secondary evidence broadens under the law, incorporating oral admissions, written admissions and evidence of skilled person who has examined a document.(Section 58 BSA)

- Introduces procedures for videography of search and seizure, including preparing list of seized items and witness signatures.(Section 105 of BNSS)

पीड़ित-केन्द्रित दृष्टिकोण

- यह पीड़ित को आपराधिक कार्यवाही में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है तथा उसे मुकदमा वापस लेने से पूर्व सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है। (धारा 360 बीएनएसएस)

- पीड़ित को FIR की एक प्रति प्राप्त करने तथा उसे 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। (धारा 193 (3)(ii) बीएनएसएस)

- गवाहों को धमकियों और भय से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, गवाह संरक्षण योजना की शुरूआत की गई। (धारा 398 बीएनएसएस)

- बलात्कार पीड़िता का बयान केवल महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। (धारा 183 (6)(ए) बीएनएसएस)

Victim-Centric Approach

- It recognises the victim as a stakeholder in the criminal proceedings, providing participatory rights. The victim has a right to be heard by the court before withdrawal of the case.(Section 360 BNSS)

- Victim entitled to a copy of the FIR and possess the right to be informed about the progress of the investigation within 90 days.(Section 193 (3)(ii) BNSS)

- Introduces the Witness Protection Scheme, acknowledging the critical need to shield witnesses from threats and intimidation.(Section 398 BNSS)

- The statement of rape victim shall be recorded only by a lady judicial magistrate and, in her absence, by a male judicial magistrate in presence of a woman. (Section 183 (6)(a)BNSS)

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अपराध एवं दंड को पुनर्परिभाषित किया गया

- छीनाझपटी एक संज्ञेय, गैर–जमानती और गैर–शमनीय अपराध है। (धारा 304 बीएनएस)

- 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा : इसमें ऐसे कृत्य शामिल हैं जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं या किसी समूह में आतंक फैलाते हैं। (धारा 113 बीएनएस)

- 'राजद्रोह' में परिवर्तन : '*राजद्रोह*' के अपराध को समाप्त कर दिया गया है तथा भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करने के लिए '*देशद्रोह*' शब्द का प्रयोग किया है। (धारा 152 बीएनएस)

- 'मॉब लिंचिंग' को एक ऐसे अपराध के रूप में शामिल किया गया जिसके लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड है। (धारा 103 (2) बीएनएस)

- संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। (धारा 111 बीएनएस)

Redefined Offences & Punishments

- Snatching is a cognizable, non-bailable and non-compoundable offence.(Section 304 BNS)

- Definition of 'Terrorist Act': covers acts that pose a threat to India's unity, integrity, sovereignty, security, economic security, or spread terror among any group. (Section 113 BNS)

- Changes to 'Sedition': The offence of 'Sedition' is eliminated and BNS penalizes acts endangering the unity and integrity of India, '*Rajdroh*' repealed with introduction of '*Deshdroh*'.(Section 152, BNS)

- 'Mob Lynching' introduced as Offence carrying a maximum penalty of death.(Section 103 (2) BNS)

- Organized crime has been clearly defined.(Section 111 BNS)

समय पर और शीघ्र न्याय

- समयावधि के लिए बीएनएसएस में 45 धाराओं को जोड़ा गया है।
- आरोप पर पहली सुनवाई के प्रारंभ से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। (धारा 251 बीएनएसएस)
- आरोप तय होने की तारीख से 90 दिन पूरे होने के बाद घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में अभियोजन की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। (धारा 356 बीएनएसएस)
- अभियोजन के लिए मंजूरी, दस्तावेजों की आपूर्ति, प्रतिबद्ध कार्यवाही, निर्वहन याचिकाओं को दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिकाओं को दाखिल करना निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। (धारा 251, 258 बीएनएसएस)
- आपराधिक कार्यवाही में दो से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। (धारा 346 बीएनएसएस)
- समन जारी करने और उसकी तामील करने तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। (धारा 530 बीएनएसएस)

Timely and Speedy Justice

- Timeline has been added in 45 sections of BNSS.
- Charges to be framed within 60 days from the commencement of the first hearing on charge. (Section 251 BNSS)
- Prosecution proceedings against declared offenders in absentia should be initiated after completion of 90 days from the date of framing of the charge. (Section 356 BNSS)
- Sanction for prosecution, supply of documents, committal proceeding, filing of discharge petitions, framing of charges, pronouncement of judgment and filing of mercy petitions has been mandated to be completed within stipulated timelines.(Section 251, 258 BNSS)
- No more than two adjournments are allowed to be given in criminal proceeding.(Section 346 BNSS)
- Use of technology for issuance and service of summons and deposition of evidence before court. (Section 530 BNSS)

आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन

- मजिस्ट्रेटों को उन मामलों में समरी ट्रायल करने का अधिकार है जिनमें तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
- **समय पर न्याय**: आरोप पर पहली सुनवाई शुरू होने से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे के समापन के बाद, निर्णय की घोषणा में 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। (धारा 251, 258 बीएनएसएस)
- **अभियोजन निदेशालय**: राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय होंगे। अभियोजन निदेशालय न्यायलयों में मामलों की कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारे और अपील फाइल करने पर अपनी राय देने और मानीटर करेंगे। (धारा 20 बीएनएसएस)
- **पूछताछ और परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड**: सभी पूछताछ और परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आयोजित किए जा सकता है। (धारा 530 बीएनएसएस)
- **विचाराधीन कैदियों की रिहाई**: पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को रिहा किया जा सकता है, यदि विचाराधीन कैदियों की हिरासत अवधि सजा की एक तिहाई तक पहुंच जाती है। (धारा 479 बीएनएसएस)

Transforming Criminal Justice System

- Magistrates are empowered to conduct summary trials in cases that involve imprisonment up to three years.
- **Timely Justice:** Charges to be framed within 60 days from the commencement of the first hearing on charge. After the conclusion of a trial in any criminal court, the pronouncement of the judgment will not take more than 45 days. (Section 251, 258 BNSS)
- **Directorate of Prosecution:** State will have a Directorate of Prosecution under which every district will have District Directorate Prosecution which will monitor cases which are under trial to expedite the proceedings and to give opinion on filing of appeals.(Section 20 BNSS)
- Electronic Mode for Inquiries and Trials: All inquiries and trials can also be conducted in electronic mode.(Section 530 BNSS)
- **Release of Undertrials:** First-time offenders may be released if under-trial detention reaches one-third of the sentence. (Section 479 BNSS)

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता

- तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। (धारा 105 बीएनएसएस)
- कोई भी गिरफ्तारी, ऐसे अपराध के मामलों में जो तीन वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक की आयु का है, ऐसे अधिकारी, जो पुलिस उप-अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। (धारा 35 (7) बीएनएसएस)
- गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई हैं।
- असंज्ञेय मामलों में, ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप से भेजी जाएगी। (धारा 174 (1)(ii) बीएनएसएस)

Greater Accountability and Transparency of Police

- Mandatory videography during search and seizure.(Section 105 BNSS)
- No arrest shall be made without prior permission of officer not below the rank of Dy.SP in case of an offence which is punishable with imprisonment for less than 3 years and such person is infirm or is 60 years of age.(Section 35 (7) BNSS)
- Over 20 sections have been introduced to enhance police accountability in arrest, search, seizure and investigation.
- In non-cognizable cases, the daily diary report of all such cases to be forwarded to the Magistrate fortnightly.(Section 174 (1) (ii) BNSS)

पहले और अब

IPC और BNS की सामान्यतः प्रयुक्त धाराएं

IPC	विषय	BNS
302	हत्या की सजा	धारा 103
304बी	दहेज मृत्यु के लिए सजा	धारा 80
379	चोरी की सजा	धारा 303
376	बलात्कार की सजा	धारा 64
420	धोखाधड़ी के लिए सजा	धारा 318
498 ए	पति द्वारा क्रूरता का शिकार महिलाएं	धारा 85
120 बी	आपराधिक षडयंत्र के लिए सजा	धारा 61

Cr.PC और BNSS की सामान्यतः प्रयुक्त धाराएँ

Cr.PC	विषय	BNSS
144	कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति	धारा 163
151	संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी	धारा 170
154	प्राथमिकी	धारा 173
173	अंतिम रिपोर्ट	धारा 193

Then and Now

Common sections of IPC and BNS generally used

IPC	Subject	BNS
302	Punishment for murder	Section 103
304B	Punishment for dowry death	Section 80
379	Punishment for theft	Section 303
376	Punishment for rape	Section 64
420	Punishment for cheating	Section 318
498A	Women subjected to cruelty by husband	Section 85
120 B	Punishment for criminal conspiracy	Section 61

Common sections of Cr.PC and BNSS generally used

Cr.PC	Subject	BNSS
144	Power to issue orders by Executive Magistrate	Section 163
151	Arrest to prevent commission of cognizable offence	Section 170
154	FIR	Section 173
173	Final report	Section 193

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

NCRB मोबाइल ऐप 'NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन'

NCRB ने एक मोबाइल ऐप 'NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन' लॉन्च किया है जो Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध है। यह ऐप सभी के लिए उपयोगी है और नए आपराधिक कानूनों पर एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह नए कानूनों के सभी अध्यायों और धाराओं को जोड़ने वाला एक सूचकांक प्रदान करता है और त्वरित सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए खोज और लिंकिंग सुविधा के साथ पुराने और नए कानूनों के बीच धारावार तुलना के लिए एक संबंधित चार्ट प्रदान करता है। इस ऐप को ऑफलाइन मोड में काम करने के लिए बनाया गया है।

NCRB
SANKALAN
of New Criminal Laws

https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

NCRB Sankalan of New Criminal Laws

NCRB has launched a Mobile app "NCRB Sankalan of New Criminal Laws", which is available on Google play store and Apple App store. This app is useful for everyone and serves as a comprehensive guide for the new criminal laws. It provides an index that links all Chapters and Sections of the new laws and a corresponding chart for section-wise comparison between old and new laws with a search and linking facility for quick information retrieval. The app is designed to work in offline mode.

NCRB
SANKALAN
of New Criminal Laws

https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html